4 अक्टूबर, 2016

सुलह और बाधाओं पर श्रीलंका की प्रगति

*डॉ. एम. समाथा **

18 अगस्त 2016 को, श्रीलंका की राष्ट्रीय एकता सरकार ने एक वर्ष पूरा किया। पहली वर्षगांठ समारोह में बोलते हुए, श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री मैत्रीपाला सिरीसेना ने देश को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव से मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने का वादा किया '। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार "लोगों को स्वतंत्रता दे रही है , और देश में लोकतंत्र की स्थापना कर रही है , साथ ही साथ देश को एक बड़े आर्थिक संघर्ष से बचा रही है, और उन अंतरराष्ट्रीय साथियों का दिल जीत रही है जिन्होंने हमें खारिज कर दिया , जैसे कि संयुक्त राष्ट्र "।[1] अक्टूबर 2015 की संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग (यूएनएचआरसी) की सिफारिशें उन मुद्दों की पहचान करने के मामले में महत्वपूर्ण थीं जिन्हें श्रीलंका सरकार को जातीय मतभेदों का शांतिपूर्ण स माधान खोजने के लिए हल करना जरूरी था। इस संदर्भ में, यह संक्षिप्त विवरण यूएनएचआरसी की सिफारिशों पर अब तक हुई प्रगति , इस संबंध में सरकार की पहल, कार्यान्वयन में बाधाएं तथा भविष्य के परिदृश्य का विश्लेषण करने की कोशिश करेगा।

संयुक्त राष्ट्र की सिफारिशों पर अब तक की प्रगति

जेनेवा में 28 जून 2016 को मानव अधिकार आयोग (एचआरसी) के 32वें सत्र में मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त, ज़ीद अल-हुसैन की श्रीलंका पर रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र तंत्र के साथ श्रीलंका सरकार के संबंधों पर एक सकारात्मक तस्वीर प्रस्तु त करती है। उच्चायुक्त ने कहा कि 2016 में राष्ट्रीय एकता सरकार के गठन के बाद और विशेष रूप से 2015 में यूएनएचआरसी की रिपोर्ट जारी होने के बाद संयुक्त राष्ट्र के साथ श्रीलंका का जुड़ाव बढ़ गया है। '[2] उदाहरण के लिए , श्रीलंका ने संयुक्त राष्ट्र एचआरसी की विशेष प्रक्रियाओं जैसे कि जबरन एवं अनैच्छिक बंधक बनाने पर गठित

कार्यसमूह को एक स्थायी निमंत्रण जारी किया जिसने नवंबर 2015 में पूरे देश का दौरा किया; सत्य, न्याय, सुधार और गैर-पुनरावृत्ति की गारंटी पर एक विशेष रिपोर्टर ने श्रीलंका की यात्रा की; अत्याचार एवं अन्य क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक तरीके अथवा दंड पर विशेष रिपोर्टरों ने श्रीलंका का दौरा किया तथा न्यायाधीशों और वकीलों की स्वतंत्रता पर विशेष रिपोर्टरों ने अप्रैल-मई 2016 में एक संयुक्त आधिकारिक यात्रा पूरी की। साथ ही, जबरन बंधक बनाए गये सभी लोगों की सुरक्षा से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (सीईडी) को भी 25 मई 2016 को स्वीकृति दे दी। नई सरकार के आने के बाद से संयुक्त राष्ट्र तंत्र के साथ जुड़ाव एक सकारात्मक विकास है। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र में प्रस्तावित सुलह उपायों के कार्यान्वयन की चुनौतियाँ अभ भी बनी हुई हैं । कुछ चुनौतियों का उल्लेख नीचे किया गया है:

<u>सुलह तंत्र की स्थापना</u>

श्रीलंका सरकार का सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य संयुक्त राष्ट्र की सिफारिशों में प्रस्तावित सुलह तंत्र को स्थापित करना है। इस संबंध में , सरकार ने सुलह तंत्र (एसआरएम) के समन्वय के लिए एक सचिवालय नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आने वाले सचिवालय का गठन 18 दिसंबर 2015 को मंत्रिमंडल द्वारा किया गया था। सचिवालय के दायरे में आने वाले चार सुलह तंत्र थे:

- लापता व्यक्तियों का कार्यालय
- सत्य, न्याय, सुलह और अनावर्तन आयोग
- न्यायिक तंत्र
- सुधारों का कार्यालय

उपरोक्त सुलह तंत्र पर जनता से परामर्श करने के लिए 26 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा सुलह तंत्र पर एक 'परामर्श कार्य बल (सीटीएफ) नियुक्त किया गया था।[3] सार्वजनिक परामर्शों को मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 2016 के महीने में आयोजित किया गया था जबकि परामर्श प्रणाली अब भी प्रक्रिया में है। टास्क फोर्स एक स्वतंत्र निकाय है जिसमें सिविल सोसाइटी के सदस्य होते हैं , और परामर्शों का आयोजन लिखित प्रक्रिया, आमने-सामने की बैठकों और श्रीलंका के सभी 25 जिलों में ऑनलाइन किया जाता है। टास्क फोर्स पूरे द्वीप के लोगों से प्राप्त सामग्री की समीक्षा और विश्लेषण करेगी और ऐसी उम्मीद है कि एक बार सार्वजनिक परामर्श पूरा कर लेने के बाद यह सरकार को प्रस्तावित चार तंत्रों पर एक रिपोर्ट पेश करेगी जिसे सार्वजनिक किया जाएगा और जिसका उपयोग सुलह तंत्र के आकार और स्वरूप पर अंतिम निर्णय लेने में किया जाएगा।

<u>ऑफिस ऑफ़ मिसिंग पर्सन्स (ओएमपी)</u>

सुलह तंत्र पर परामर्श कार्य बल ने अगस्त 2016 में लापता व्यक्ति (ओएमपी) विधेयक तथा लापता, गुम हुए और आत्मसमर्पण कर चुके लोगों के संबंध में एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। अंतरिम रिपोर्ट जुलाई 2016 और 8 अगस्त 2016 तक आयोजित परामर्शों के दौरान प्राप्त आवेदनों पर आधारित थी। सुलह प्रक्रिया पर सरकार की पहल के अनुरूप, ऑफिस ऑफ़ मिसिंग पर्सन्स (ओएमपी) (स्थापना, प्रशासन और कार्यों का निर्वहन) विधेयक को संसद द्वारा 11 अगस्त 2016 को पारित किया गया। ओएमपी बिल कार्यालय की स्थापना के लिए प्रदान करता है ; खोज और अनुरेखण; लापता व्यक्तियों के रिश्तेदारों को सहायता ; एक डेटाबेस की स्थापना और उक्त कार्यालय को सौंपी गई शक्तियों और कार्यों पर लागू होने वाली प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों को निर्धारित करना।[4]

विधेयक के मसौदे और संसद में इसे पारित करने की प्रक्रिया के कारण यह विपक्षी दलों, नागरिक समाज और मानवाधिकार निकायों की आलोचना का शिकार हुई। उदाहरण के लिए, संसद में संयुक्त विपक्ष (जेओ) का प्रतिनिधित्व करने वाले श्रीलंकाई स्वतंत्रता पार्टी (एसएलएफपी) के सांसदों ने इस आधार पर विधेयक का विरोध किया कि डेढ़ दिन संसद में विधेयक पर बहस करने के लिए पर्याप्त नहीं था।'[5] संयुक्त विपक्ष के नेता और पूर्व राष्ट्रपति राजपक्षे ने कहा कि ओएमपी विधेयक को श्रीलंका के सशस्त्र बलों को परेशान करने के लिए तैयार किया गया है और कहा "जिन सांसदों ने इसके लिए वोट दिया है, वे देश और सशस्त्र बलों को धोखा देने के लिए जिम्मेदार होंगे "।[6] बिल के विरुद्ध संयुक्त विपक्ष के तर्क कुछ निम्न कारणों पर आधारित हैं: ओएमपी श्रीलंका के राज्य कानून प्रवर्तन और न्याय प्रणाली का हिस्सा नहीं हो गा, और यह संसद द्वारा निगमित एक स्वतंत्र निकाय होगा; इसके अधिकारी बिना वारंट के किसी भी पुलिस स्टेशन या जेल, सैन्य प्रतिष्ठान में प्रवेश कर सकते हैं और उन दस्तावेजों या वस्तुओं को जब्त कर सकते हैं जिनकी जांच की उन्हें आवश्यकता होती है; यह विदेशी धन प्राप्त कर सकता है और अपने काम के लिए विदेशी व्यक्तियों या संगठनों के साथ समझौते कर सकता है ; न केवल लापता व्यक्तियों के संबं धियों और दोस्तों से , बल्कि स्थानीय और विदेशी, किसी भी इच्छुक पार्टी से शिकायतों को प्राप्त किया जा सकता है; सशस्त्र बलों और खुफिया से वाओं सहित सभी स्तरों पर सरकारी निकायों को ओएमपी को पूर्ण सहायता प्रदान करना अनिवार्य रूप से आवश्यक है , तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान ओएमपी के काम पर लागू नहीं होंगे।[7]

संसद में विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बाद , तमिल-प्रभुत्व वाले उत्तरी प्रांत ने विरोध प्रदर्शन किया, उत्तर में ओएमपी की मांग की, क्योंकि 'अधिकांश लापता लोग उत्तर से थे, और उनमें से भी ज्यादातर किलिनोच्ची और मुल्लास्तिवु' जिलों से थे।[8] तमिल सिविल सोसाइटी फोरम (टीसीफी) और अन्य तमिल संगठनों ने पीड़ितों से परामर्श करने की वास्तविक इच्छा नहीं दिखाने के लिए सरकार की आलोचना की।[9] दूसरी ओर, तमिल नेशनल एलायंस (टीएनए) ने ओएमपी की स्थापना के लिए किये गये प्रयासों तथा टीएनए द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल करने के लिए सरकार की सराहना की।[10]

विपक्ष के अलावा, श्रीलंका के मानवाधिकार आयोग (एचआरसीएसएल) की जून 2016 की रिपोर्ट ने भी गुमशुदा व्यक्तियों और सत्य एवं सुलह आयोग तथा विशेष न्यायालय जैसे मध्यमार्गी न्याय मॉडल पर विधेयक का मसौदा तैयार करने में परामर्श एवं बातचीत में पारदर्शिता की कमी की ओर इशारा किया। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्री य परामर्शों को मध्यमार्गी न्याय तंत्र में अंतर्राष्ट्रीय घटकों की भागीदारी के लिए स्थान देना चाहिए था जैसा कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है।

श्रीलंका में लापता व्यक्तियों पर रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति (आईसीआरसी) की 2016 की "लिविंग विद अनसरटेनिटी: नीड्स ऑफ द फैमिलीज ऑफ मिसिंग पर्सन्स इन श्रीलंका " रिपोर्ट भी लापता व्यक्तियों के परिवारों की स्थिति का, उनके आर्थिक और सामाजिक कल्याण के संदर्भ में, एक गंभीर तस्वीर प्रदान करती है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आईसीआरसी के तहत 16,075 व्यक्तियों को लापता व्यक्तियों के रूप में पंजीकृत किया गया था और 15,688 परिवारों (18 नवंबर 2015 तक) की तलाश की जा रही है। इसलिए, "रिपोर्ट में लापता व्यक्तियों के मुद्दे का हल निकालने की आवश्यकता की दृढ़ता से सिफारिश की गयी है क्योंकि यह सुलह प्रक्रिया के लि ए खतरा हो सकता है, और यह समाज में संघर्ष के लिए बन रहे माहौल को भड़काने में भी भूमिका निभा सकता है।"[12] रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि आईसीआरसी द्वारा साक्षात्कार किए गए 395 परिवारों में से 93% परिवारों में लापता व्यक्ति पुरुष थे। इससे पता चलता है कि अधिकांश घरों को महिलायें चला रही हैं। इसलिए, सरकार के सामने बड़ा काम यह है कि वह लापता लोगों के ठिकाने के बारे में जानकारी देने के अलावा महिलाओं को आजीविका के अवसर प्रदान करे।

ओएमपी के मुद्दे पर लिए गये उपरोक्त रुख से संकेत मिलता है कि सरकार और तमिल पार्टियों के बीच अपेक्षाओं को लेकर हितों का टकराव है कि क्या ओएमपी का इस्तेमाल सच्चाई के लिए होगा या प्रतिशोध लेने के लिए किया जाएगा।'[13]

<u>संक्रमणकालीन न्याय तंत्र की स्थापना</u>

सुलह प्रक्रिया में एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू सिंहाला और तमिल दलों सहित सभी हितधारकों के परामर्श से एक मध्यमार्गी न्याय तंत्र की स्थापना करना है। अक्टूबर 2015 का यूएनएचआरसी प्रस्ताव यह निर्दिष्ट करता है कि 'न्याय तंत्र को पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी , सत्य की तलाश और क्षतिपूर्ति कार्यक्रम चलाने होंगे और संस्थागत सुधारों की स्थापना करनी होगी ।[14] न्याय तंत्र में अंतरराष्ट्रीय न्यायाधीशों, अभियोजन पक्ष, जांचकर्ताओं और वकीलों की भागीदारी सरकार और अंतर्राष्ट्रीय घटकों, जैसे संयुक्त राष्ट्र तथा सरकार और तमिल दलों के बीच एक विवादास्पद मुद्दा है। सरकार की ओर से दिए गए बयान और उनकी व्याख्याएं अंतरराष्ट्री य भागीदारी के साथ जवाबदेही तंत्र स्थापित करने की अनिश्चितता को बढ़ा रही हैं।

उदाहरण के लिए, फरवरी 2016 में सुलह तंत्र पर परामर्श कार्यक्रम को आरम्भ करते हुए, विदेश मंत्री मंगला समारावीरा ने घरेलू न्यायिक तंत्र के लिए अपनी सरकार के समर्थन की बात को दोहराया। उन्होंने मैत्रिपाला सिरिसेना के 100 दिन के कार्यक्रम के बिंदु 93 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है, "चूंकि श्रीलंका युद्ध अपराधों से सम्बंधित अंतरराष्ट्रीय न्याय क्षेत्र से जुड़े रोम क़ानून का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, अत: ऐसे मामलों में न्याय सुनिश्चित करना राष्ट्रीय स्वतंत्र न्यायिक तंत्र का कार्य होगा।"[15] दूसरी ओर, 29 जून 2016 को यूएनएचआरसी के सत्र में विदेश मंत्री ने अपने संबोधन में न्याय तंत्र की स्थापना और अंतरराष्ट्रीय भागीदारी के स्तर से संबंधित समस्या ओं को स्वीकार किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि "अंतिम तौर पर जिस तन्त्र को स्थापित किया जा रहा है वह हितधारकों, विशेष रूप से पीड़ितों का विश्वास, निष्पक्ष परीक्षण और उचित प्रक्रिया की गारंटी के साथ है।"[16] उपरोक्त कथन पीड़ितों को एक उम्मीद प्रदान करता है कि उनके विचारों को ध्यान में रखा जाएगा और ज्यादातर तमिल समुदाय घरेलू घटकों के बजाय न्याय तंत्र में अंतर्राष्ट्रीय घटकों की भागीदारी को प्राथमिकता देते हैं। उदाहरण के लिए , टीएनए "श्रीलंका के न्यायिक तंत्र में राष्ट्रमंडल और अन्य विदेशी न्यायविदों की भागीदारी और मानवाधिकारों के उल्लंघन और दुर्व्यवहार के लि ए कथित रूप से जिम्मेदार लोगों के परीक्षण और सजा की अनुमति देने के लिए कानूनी सुधार" का समर्थन करता है।[17]

पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका कुमारतुंगा की अध्यक्षता में 2015 में स्थापित "राष्ट्रीय एकता और सामंजस्य कार्यालय", सुलह में जनता के परामर्श को शामिल करने के लिए, "कई घटकों के साथ कार्यशालाएं आयोजित कर रहा है , जिसमें सरकार के मंत्रालयों , विभागों और शिक्षाविदों के प्रतिनिधि सिविल सोसाइटी के नेता शामिल हैं जो सुलह पर संपूर्ण सरकारी प्रयास की आवश्यकता पर सामग्री और प्रक्रिया संबंधी पहलुओं को प्रतिबिंबित करते हैं ।"[18] सुलह पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए विचार-विमर्श हो रहा है। यह जिला विकास योजना, समुदायों के बीच सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन और प्रचार में भी शामिल है।

<u>पुनर्वास एवं विसैन्यीकरण</u>

संघर्ष प्रभावित विस्थापन के टिकाऊ समाधान के लिए एक राष्ट्रीय नीति व्यापक परामर्श के बाद और संयुक्त राष्ट्र की तकनीकी सहायता की मदद से तैयार की गई है। श्रीलंकाई कैबिनेट ने 17 अगस्त 2016 को नीति को मंजूरी दी। नई नीति 'अधिकार-आधारित दृष्टिकोण और पुनर्वास से परे समाधान के आधार पर विस्थापितों की जरूरतों को पूरा करेगी , और इसमें संरक्षण , आवास, पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवा , प्राथमिक शिक्षा, एक अच्छा जीवन स्तर और आजीविका के श्रोतों तक पहुंच आदि के प्रावधान शामिल हैं। नीति उनके लिंग, जातीयता, आयु, भाषा, राजनीतिक राय, धर्म, जाति, रहने की जगह आदि के आधार पर विस्थापितों के साथ होने वाले सामाजिक भेदभाव को भी संबोधित करेगी।"[19]

कारागार सुधार, पुनर्वास, पुनर्स्थापन और हिंदू धार्मिक मामलों के श्रीलंका सरकार के मंत्रालय के अनुसार, 31 जुलाई 2016 तक, 43,607 लोगों (13,670 परिवार) का पुनर्वास किया जाना है और सरकार पहले से ही 882,392 लोगों (253,231 परिवार) का पुनर्वास कर चुकी है।[20] श्रीलंका के भीतर विस्थापित होने वालों के अलावा, मुख्य चुनौती लगभग 100,000 श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के पुनर्स्थापन की है जो भारत में हैं। पुनर्स्थापन को विसैन्यीकरण के पहलू से भी जोड़ा जाता है। चूंकि उत्त र और पूर्व में युद्ध के बाद श्रीलंका की सेना ने एक बहुत बड़े भूखंड पर कब्ज़ा कर लिया है, इसलिए नागरिक उद्देश्य के लिए भूमि को मुक्त करना और भूमि के मूल मालिकों की पहचान करना मुश्किल काम हैं। सरकार ने दावा कि या कि उसने जनवरी 2015 तक लगभग 3,300 एकड़ भूमि को मु क्त कर दिया है। हालांकि , ब्रिटिश तमिल फोरम (बीटीएफ) ने दावा किया कि मार्च 2016 तक श्रीलंका की "सेना का तमिलों की 67,427 एकड़ भूमि पर कब्जा है ।"[22] सेंटर फॉर पॉलिसी अल्टरनेटिव्स (सीपीए) श्रीलंका के सर्वेक्षण के अनुसार, 'मार्च 2016 तक उत्तरी श्रीलंका में सेना, वायु सेना, नौसेना और पुलिस सहित कई घटकों द्वारा 12,751 एकड़ जमीन पर कब्जा किया गया था। आंकड़ों में मतभेदों के बावजूद, यह स्पष्ट है कि लोगों के लिए एक बड़े भूखंड को अभी भी जारी किया जाना बाकी है। सरकार और टीएनए के बीच पुनर्वास मुद्दे पर मतभेद अप्रैल 2016 में सामने आए, जब सेना ने टीएनए के नेता श्री आर . संपंथन पर आरोप लगाया कि वह किल्लिनोची जिले में सैन्य कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रवेश के लिए मजबूर कर रहे हैं और बहुसंख्यक सिंहाला राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरीसेना से श्री संपंथन को गिरफ्तार करने का आग्रह किया था।[24]

पुलिस और सुरक्षा क्षेत्र में सुधार अन्य मुद्दे हैं जिनका उल्लेख संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में है। श्रीलंकाई सरकार ने नवंबर 2015 में 8 प्रवासी संगठनों और 269 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया। तमिल दलों की आतंकवाद निरोधक अधिनियम (पीटीए) को रद्द करने की मांग अभी भी सरकार द्वारा स्वीकार की जानी है, और अकेले "2015-16 में, पीटीए के तहत 40 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 25 लोग मार्च-अप्रैल 2016 में जाफना में विस्फोटकों के जखीरे की खोज के बाद एक सुरक्षा ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किये गये थे ।[25] पीटीए के तहत लगातार की जा रही गिरफ्तारी सरकार द्वारा नए आतंकवाद विरोधी कानून के साथ इस अधिनियम को स्थानांतरित करने की सरकार की प्रतिबद्धता पर संदेह पैदा करती है।[26]

<u>नए संविधान का मसौदा तैयार करना</u>

राष्ट्रीय एकता सरकार ने कार्यकारी अध्यक्ष पद को समाप्त करने, स्वतंत्र आयोगों की पुनर्बहाली और सुलह का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक नए संविधान के प्रारूपण जैसे कई उपायों का वादा किया। जैसा कि वादा किया गया था, सरकार ने कार्यकारी राष्ट्रपति पद की शक्तियों को कम कर दिया और 2015 में संविधान में 19वें संशोधन के माध्यम से स्वतंत्र आयोगों को बहाल किया। पहली बार , श्रीलंका सरकार ने सार्वजनिक परामर्श के साथ एक संविधान का मसौदा तैयार करने का भी प्रस्ताव

दिया है। इस संबंध में, संवैधानिक सुधार पर सार्वजनिक प्रतिनिधित्व समिति (पीआरसीसीआर) ने मई 2016 में कई माध्यमों से जनता के साथ विचार- विमर्श की एक श्रृंखला के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उदाहरण के लिए , लगभग 2,500 व्यक्ति/संगठन समिति के समक्ष उपस्थित हुए थे , 800 का प्रतिनिधित्व ईमेल द्वारा हुआ था, फैक्स के माध्यम से 150, टेलीफोन द्वारा 60 और 700 डाक द्वारा या कार्यालय में सौंपे गए थे।[27]

समिति ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों, जैसे कि राज्य की प्रकृति , राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज और नागरिकता, धर्म, संविधान की मूल संरचना , शक्तियों के विचलन , शक्ति साझाकरण, न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, भाषा का अधिकार, उत्तरी और पूर्वी प्रांतों और भूमि का विलय, पर जनता की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करने के बाद सिफारिशें प्रस्तुत कीं। समिति द्वारा संविधान सभा के विचार के लिए की गई सिफारिशें स्पष्ट रूप से बताती हैं कि उपर्युक्त मुद्दों पर आम सहमति बनाने के लिए सभी हितधारकों को आश्वस्त करना सरकार के लिए एक कठिन कार्य होने जा रहा है। उदाहरण के लिए, धर्म के सवाल पर, की गई सिफारिशें इस प्रकार हैं:

संविधान के वर्तमान अनुच्छेद 9 (अध्याय 2) को बरकरार रखें जो बताता है कि : "श्रीलंका गणराज्य बौद्ध धर्म को सबसे महत्वपूर्ण स्थान देगा और तदनुसार यह राज्य का कर्त व्य होगा कि वह बुद्ध सासन की रक्षा करे और उसे बढ़ावा दे।"[28] अथवा श्रीलंका एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा या संविधान के अध्याय 2 के शीर्षक को संशोधित करेगा और जिसे "श्रीलंका गणराज्य सभी धर्मों को समान दर्जा देगा" कहा जाना चाहिए।"[29]

राज्य की प्रकृति पर , समिति का सुझाव है कि श्रीलंका एक स्वतंत्र , आज़ाद, संप्रभु गणराज्य होगा जिसमें संविधान के तहत प्रदत्त सरकारी अंग शामिल हैं, या श्रीलंका एक स्वतंत्र, आज़ाद, संप्रभु, एकात्मक राज्य होगा जिसमें सरकारी अंग शामिल होंगे। उदाहरण के लिए, अंगों के अंतर्गत संगठन, संसद, कार्यपालिका, केंद्र में न्यायपालिका , प्रांतीय कार्यपालिका और प्रांतीय स्तर पर परिषद और स्थानीय स्तर पर स्थानीय परिषदों को संदर्भित करता है। एक अन्य विकल्प दिया गया था "श्रीलंका गणराज्य एक एकात्मक राज्य है।"[30]

विचलन की इकाई पर, विशेष रूप से उत्तरी और पूर्वी प्रांतों के विलय पर, जो श्रीलंका में सबसे विवादास्पद मुद्दा है , समिति की रिपोर्ट बताती है कि उत्त र और पूर्व में मुस्लिम और सिंहाला समुदायों ने इस मुद्दे के बारे में गहरी आशंका व्यक्त की है। मुस्लिम समुदाय के अनुसार , यह विलय उन्हें प्रांत में अल्पसंख्यक बना देगा। सिंहली समुदाय के अनुसार , विलय प्रांत में प्रभुत्व वाले तमिल अल्पसंख्यकों को एक अलग राज्य बनाने के लिए अवसर प्रदान दे देगा।'[31]

राज्य भूमि के उपयोग के सवाल पर , समिति ने एक राष्ट्रीय भूमि आयोग (एनएलसी) की स्थापना की सिफारिश की। तथा केंद्र और राज्य के बीच कोई भी विवाद एनएलसी द्वारा तय किया

जाएगा। महत्वपूर्ण रूप से, समिति ने "अधिकारों का विधेयक" पेश करने की सिफारिश की। अधिकारों में जीवन, समानता, गरिमा, महिलाओं के अधिकार, वापसी के अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार, भूमि का अ धिकार, व्यापार-संघ का अधिकार, लापता नहीं होने का अधिकार, सूचना का अधिकार और उपभोक्ता अधिकार जैसे कुछ नाम करने शामिल हैं।

भाषा के मुद्दे पर, समिति की एक सिफारिश सिंहली और तमिल को आधिकारिक, राष्ट्रीय और प्रशासनिक भाषा तथा अंग्रेजी को लिंक भाषा घोषित करना था। पीटीए को निरस्त करने और भेदभाव पर आयोग की स्थापना की भी सिफारिश की गई थी।

सभी के लिए स्वीकार्य एक उचित प्रक्रिया के माध्यम से एक संविधान का प्रस्ताव करना सरकार के सामने मुख्य चुनौती है। उदाहरण के लिए, समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर संसद में दो-तिहाई ब हुमत से बहस होगी और उसे अपनाना होगा। और फिर प्रांतीय परिषद सिफारिशें कर सकती हैं, और उस मसौदे को स्वीकार करना होगा। अंतिम मसौदे को राष्ट्रीय जनमत संग्रह के माध्यम से स्वीकार करना होगा। चूंकि विवादास्पद मुद्दों पर सिफारिशें, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह दर्शाती हैं कि 2009 में युद्ध के बाद कुछ भी नहीं बदला है, ऐसे में सरकार भविष्य में सभी हितधारकों को कैसे मनाने वाली है, यह देखा जाना बाकी है।

प्रक्रिया में बाधाएं

सबसे पहले, भले ही तमिल दलों ने राष्ट्रीय एकता सरकार के गठन का समर्थन किया था, विश्वास की कमी के कारण कई मुद्दों पर मतभेद मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, पुनर्वास केंद्रों में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम (लिट्टे) कैडरों की स्थिति के बारे में, तमिल नेशनल एलायंस (टीएनए) ने अगस्त 2016 में आरोप लगाया कि '104 लिट्टे कैडरों को मारने के लिए जहर का इंजेक्शन दिया गया था जिसमें से कुछ बीमार पड़ गए थे।"[32] रिपोर्टों के अनुसार, उत्तरी प्रांत के मुख्यमंत्री सी.वी. विग्नेस्वरन ने श्रीलंका में अमेरिकी राजदूत अतुलकेशप से अनुरोध किया था कि वे उस समय जाफना में कैंप कर रही अमेरिकी वायु सेना (यूएसएएफ) की मेडिकल टीम को लिट्टे कैडरों की जांच करने के लिए मुहैया करवाएं। हालांकि, यह नहीं हो सका क्योंकि यूएसएएफ टीम आवश्यक जांच करने के लिए सुसज्जित नहीं थी।[33] श्रीलंका सरकार ने उत्तरी प्रांत के मुख्यमंत्री के दावों को निराधार बताया।

सरकार और तमिल पार्टियों के बीच विश्वास की कमी का पता जवाबदेही तंत्र में अंतर्राष्ट्रीय घटकों की भागीदारी पर अपनाए गए रुख से भी चलता है। पूर्व में, गुमशुदा व्यक्तियों (पीसीआईसीएमपी) के मामलों की जांच कर रहे अध्यक्षीय आयोग, जिसे मैक्सवेल परनागामा आयोग भी कहा जाता है, की बहाली 1983 से 2009 तक लापता व्यक्तियों की शिकायतों की जांच के लिए पूर्व राष्ट्रपति राजपक्षे ने 15 अगस्त 2013 को की थी। परानागामा आयोग को लापता होने से संबंधित

21,000 से अधिक शिकायतें मिलीं।[34] 2014 में आयोग को युद्ध अपराधों के आरोपों की जांच का आदेश दिया गया था। आयोग की रिपोर्ट अगस्त 2015 में जारी की गई थी और इसे अक्टूबर 2015 में संसद में पेश किया गया था। आयोग की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि युद्ध अपराधों के आरोप प्रणालीगत अपराध नहीं हैं', जिसे यूएनएचआरसी ने अस्वीकार कर दिया था।

परानागामा आयोग की रिपोर्ट से पहले , 31 मार्च 2011 को जारी की गई डारसमैन रिपोर्ट (श्रीलंका में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की जवाबदेही पर विशेषज्ञ पैनल की रिपोर्ट), में बताया गया कि युद्ध के अंतिम चरण में 40,000 नागरिकों की मौत हुई, और 'एलटीटीई और श्रीलंकाई सेना (एसएलए) दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और मानवाधिकारों के उल्लंघन में शामिल थे।[35] परानागामा आयोग नागरिकों की मौत की संख्या और डारसमैन रिपोर्ट द्वारा किसी भी मध्यमार्गी न्याय प्रक्रिया के लिए अभियोजन पक्ष के जोर पर देने से सहमत नहीं था।

संयुक्त राष्ट्र और सरकार द्वारा गठित रिपोर्ट के बीच युद्ध के अंतिम चरण में मारे गए नागरिकों की संख्या में अंतर एक संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय घटकों के लिए स्वीकार्य मध्यमार्गी न्याय तंत्र की स्थापना कोई आसान काम नहीं है। क्योंकि परानागामा आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि "लिट्टे द्वारा मारे गए नागरिकों, चाहे वे जानबूझकर मारे गए हों, या लापरवाही से, के साथ-साथ उन नागरिकों जो संघर्ष क्षेत्र से बचने के प्रयास में मारे गए थे, को एसएलए के लिए जिम्मेदार अतिरिक्त क्षति के अनुमान में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।"[36] इन टिप्पणियों से पता चलता है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार, विशेष रूप से राज्य द्वारा समर्थित एसएलए से संबंधित व्यक्ति, जवाबदेही तंत्र की स्थापना में बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं जिसमें अभियोजन का तत्व शामिल होगा।

पैनारागामा की रिपोर्ट में "घरेलू न्यायिक तंत्र" और उन लोगों के लिए "जवाबदेह माफी" की भी सिफारिश की गई है, जो खुद को दोषी मानते हुए ग्लानी दिखाते हैं और पश्चाताप व्यक्त करते हैं।[37] श्रीलंका सरकार उन सिफारिशों को लागू करेगी या नहीं, इसे देखना अभी बाकी है। भले ही श्रीलंका की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को सह-प्रायोजित किया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीशों और अभियोजकों को न्यायिक तंत्र में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया था , राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने कई अवसरों पर न्यायिक तंत्र में अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीशों की भागीदारी के खिलाफ बात की थी। उदाहरण के लिए, जुलाई 2016 में, पनादुरा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए , उन्होंने कहा, "जब तक मैं इस देश का राष्ट्रपति हूं , मैं किसी भी अंतरराष्ट्रीय अदालत , अंतरराष्ट्रीय न्यायाधीशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को श्रीलंका के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दूंगा।"[38]

इस कथन ने अप्रत्यक्ष रूप से परानागामा आयोग की सिफारिशों का समर्थन किया।

दूसरे, एसएलएफपी के भीतर एकजुटता की कमी सिरिसेना-विक्रम सिंघे सरकार के लिए एक बड़ी बाधा बनने जा रही है। एसएलएफपी में सुलह के तरीकों पर मतभेद है, जिसे सरकार शुरू करने की योजना बना रही है। सिरीसेना सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत ओएमपी बिल का राजपक्षे की अगुवाई वाले संयुक्त विपक्ष द्वारा विरोध किया जाना एक ऐसा उदाहरण है। मैत्रीपाला सिरिसेना राजपक्षे के वफादारों को हटाकर पार्टी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए , अगस्त 2016 में, सिरिसेना ने पार्टी के 40 नए जिला और चुनाव आयोजकों को नियुक्त किया। फेरबदल के बीच ही, राष्ट्रपति ने पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के 13 वफादारों को एसएलएफपी के आयोजक पद से हटा दिया।[39] विरोध में, एसएलएफपी के सभी संयुक्त विपक्ष के सांसदों ने अपने जिले और चुनावी आयोजक पदों से इस्तीफा देने का फैसला किया है। 'दूसरी ओर, मैत्रिपाला सिरिसेना के 4 सितंबर 2016 को यूएनपी की 69वीं वर्षगांठ में भाग लेने के निर्णय , जो कि आजादी के बाद से एसएलएफपी का राजनीतिक विरोधी बना हुआ है , ने एक बात साबित कर दी है कि एसएलएफपी में मतभेद के बाद भी केंद्र में द्विदलीय सरकार कुछ समय के लिए रुकने वाली है।

तीसरा, तमिल नेतृत्व के बीच एकता की कमी सुलह प्रक्रिया में बाधा बन रही है। तमिल राज्य का गठन करने वाले तमिल राजनीतिक दलों के भीतर मतभेद, और राज्य में तमिलों को समान अधिकारों की मांग 2009 में लिट्टे की हार के बाद भी मौजूद है। संविधान के प्रारूप पर कुछ तमिल दलों द्वारा दिखाए गये रुख से मतभेद स्पष्ट हैं। उदाहरण के लिए, तमिल राष्ट्रीय गठबंधन (टीएनए) नेतृत्व के साथ मतभेद के कारण 19 दिसंबर 2016 को उत्तरी प्रांत के मुख्यमंत्री सी .वी.विग्नेश्वरन ने तमिल पीपुल्स काउंसिल (टीपीसी) का गठन किया। टीपीसी ने अपना पक्ष रखा कि सरकार को तमिलों के साथ "राज्य की मूल दृष्टि" पर समझौता करना चाहिए और श्रीलंका को एक संघीय राज्य होना चाहिए और इसे "फ़ेडरल रिपब्लिक ऑफ़ श्रीलंका" कहा जाना चाहिए।"[40]

डेमोक्रेटिक तमिल नेशनल फ्रंट (डीटीएनएफ) का गठन मई 2016 में किया गया था और इसमें अन्य के अलावा कई तमिल दल जैसे डेमोक्रेटिक पीपुल्स कांग्रेस (डीपीसी), ईलम पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (ईपीडीपी), तमिल ईलम लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (टीईएलओ और तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट (टीयूएलएफ) शामिल हैं।) नए गठबंधन ने "संघवाद के भारतीय मॉडल" को अपनाने के लिए अभियान चलाने का संकल्प लिया , जिसे 13वें संवैधानिक संशोधन के दायरे को बढ़ाकर पूरा किया जा सकता है, जिसने प्रांतीय परिषदों का निर्माण किया।[41] एकात्मक राज्य के तहत शक्तियों के विचलन को, शासन के संघीय ढांचे को अपनाने को लेकर बहुसंख्यक समुदाय की आशंका को देखते हुए, टीएनए जैसे तमिल नेतृत्व की मांग के अनुसार नहीं बदला जा सकता है। 1987 के भारत-श्रीलंका समझौते के माध्यम से संविधान में 13वें संशोधन को पूर्ण रूप से लागू करने पर सरकार का जोर देना भी तमिल नेतृत्व को स्वीकार्य नहीं है , क्योंकि संशोधन ने केंद्र और इस के तहत नियुक्त राज्यपाल के पास जरूरत पड़ने पर प्रांतीय शक्तियों को वापस ले लेने की अधिक शक्तियां प्रदान की हैं।

निष्कर्ष

उपरोक्त घटनाक्रम से संकेत मिलता है कि श्रीलंका में सुलह प्र क्रिया उम्मीद से ज्यादा लंबा समय लेने वाली है। ऐसा मुख्य रूप से विवादास्पद मुद्दों पर सहमति के अभाव के कारण है, जो 1980 के दशक में श्रीलंका में जातीय संघर्ष के उद्भव के लिए जिम्मेदार थे , जैसे कि राज्य की प्रकृति (एकात्मक या संघीय), भूमि अधिकार इत्यादि। केंद्र में द्विदलीय सरकार का गठन एक सकारात्मक तस्वीर प्रस्तुत करता है, हालांकि, सुलह के प्रयासों की सफलता राज्य की मूल दृष्टि के बारे में बहुमत और अल्पसंख्यकों के बीच धारणाओं में बदलाव पर निर्भर करेगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान-की-मून ने सितंबर 2016 में श्रीलंका का दौरा किया। सुलह में हुई प्रगति पर सरकार को बधाई देते हुए , संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जोर देकर कहा कि सरकार को वि सैन्यीकरण की प्रक्रिया को तेज करने की जरूरत है, और अतीत से उबरने के लिए श्रीलंका के नागरिकों को युद्ध पश्चात संकल्प के सभी चार तत्वों की आवश्यकता होगी, अर्थात, सत्य-कथन, जवाबदेही, पुनर्संस्थापन और संस्थागत सुधार। इसे प्राप्त करने के लिए कोई त्वरित मार्ग नहीं है। इसमें कई वर्षों के राजनीतिक साहस और दृढ़ संकल्प की जरूरत होगी।" बयान ने राजनीतिक इच्छाशक्ति और धैर्य के साथ श्रीलंका में सुलह को आगे बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

****

डॉ एम. समाथा इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली में रिसर्च फेलो हैं।

अस्वीकरण: व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और परिषद के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।

अंत टिप्पण:

---

1 "Good governance government will decide next plan in 2020 – President", 20th August 2016, http://www.news.lk/news/sri-lanka/item/14214-good-governance-government-will-decide-next-plan-in-2020-president.

2 "Zeid Al –Hussein's Report on Sri Lanka to HRC 32: Constrictive and Positive", 28th June 2016, http://srilankabrief.org/2016/06/zeid-raad-zeid-al-husseins-report-sri-lanka-to-hrc-32-constructive-and-positive/

3 "Consultation Task Force on Reconciliation Mechanisms", press release 26th July 2016, http://media.wix.com/ugd/bd81c0_22965390b53f493fa68c7f5ff8a14c82.pdf

4 Parliament of Sri Lanka, "Business of the House for June 22, 201"6, http://www.parliament.lk/en/news-en/view/1203

5 "OMP Bill Passed Without Division", 12th August 2016, http://news.lk/news/sri-lanka/item/14135-omp-bill-passed-without-division

6 "OMP Bill Designed to 'Persecute' Armed Forces Says Rajapaksa", 19th July 2016, http://www.tamilguardian.com/content/omp-bill-designed-persecute-armed-forces-says-rajapaksa

7 ibid

8 "Protests in Northern Sri Lanka Demanding an office on Missing Persons in North", 18th August 2016, http://www.colombopage.com/archive_16B/Aug18_1471543449CH.php.

9 "No genuine willingness by Sri Lanka to Consult the Victims' - Tamil Organizations Across North-East, 21 May 2016, http://www.tamilguardian.com/content/%E2%80%98no-genuine-willingness-sri-lanka-consult-victims%E2%80%98-tamil-organisations-across-north-east.

10 Ramakrishnan T, "Sri Lanka government consulted us on OMP bill: TNA" *Hindu*, 1 July 2016, http://www.thehindu.com/news/international/sri-lanka-government-consulted-us-on-omp-bill-tna/article8797946.ece

[11] "Living with Uncertainty: Needs of the families of Missing Persons in Sri Lanka", ICRC, 2016, https://www.icrc.org/.../families_of_missing_persons_in_sri_lanka_-_living_with_uncertainity, P.3.
[12] ibid, P.iii.
[13] "Office on Missing Persons is to Seek the Truth, Sri Lankan Prime Minister Explains" 19th August 2016, http://www.colombopage.com/archive_16B/Aug19_1471585063CH.php.
[14] "Zeid Al –Hussein's Report on Sri Lanka to HRC 32: Constrictive and Positive", 28th June 2016, http://srilankabrief.org/2016/06/zeid-raad-zeid-al-husseins-report-sri-lanka-to-hrc-32-constructive-and-positive/
[15] "Launch on Consultations on Reconciliation Mechanisms Foreign Minister Mangala Samaraweera MP", 15th February 2016, file:///C:/Users/bhavya/Desktop/bd81c0_38e0687015364d79bffbc5672d7e4d2f.pdf
[16] "Statement by Hon. Mangala Samaraweera, M.P. Minister of Foreign Affairs of Sri Lanka & Leader of the Sri Lanka Delegation Presentation of the Oral Update on the Implementation of the HRC Resolution A/HRC/RES/30/1 by the High Commissioner for Human Rights, Item2 32nd Session of the Human Rights Council", 29 June 2016, Geneva, http://www.mfa.gov.lk/images/stories/Hon._MFA_Statement_HRC_32_-_June_2016-pdf.pdf
[17] Ramakrishnan T, "Sri Lanka government consulted us on OMP bill: TNA", 1 July 2016, http://www.thehindu.com/news/international/sri-lanka-government-consulted-us-on-omp-bill-tna/article8797946.ece
[18] "Initial Consultations: framework to develop a National Policy on Reconciliation", 16th March 2016, http://www.onur.gov.lk/index.php/en/news/86-initial-consultations-framework-to-develop-a-national-policy-on-reconciliation.
[19] "Decisions taken by the Cabinet of Ministers at its Meeting Held on 16-08-2016", http://www.news.lk/cabinet-decusions/item/14183-decisions-taken-by-the-cabinet-of-ministers-at-its-meeting-held-on-16-08-2016.
[20] Ministry of Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affair, Government of Sri Lanka, Resettlement Figures, Ministry of Resettlement, Rehabilitation and Hindu Religious Affairs, http://resettlementmin.gov.lk/site/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=7&lang=en
[21] "Launch on Consultations on Reconciliation Mechanisms Foreign Minister Mangala Samaraweera MP", 15th February 2016, file:///C:/Users/bhavya/Desktop/bd81c0_38e0687015364d79bffbc5672d7e4d2f.pdf
[22] " Military Occupying Over 96% Land Belonging To Tamils: BTF", 20 April 2016, https://www.colombotelegraph.com/index.php/military-occupying-over-96-land-belonging-to-tamils-btf/
[23] Centre for Policy Alternatives (CPA), " Land Occupation in the Northern Province: A Commentary on Ground Realities and Recommendations for Reform"' Report, March 2016, https://www.cpalanka.org/wp-content/uploads/2016/03/Land-Occupation-in-the-Northern-Province..pdf
[24] "TNA demands probe over 'illegal occupation' by Sri Lankan Army", 27 April 2016, http://www.thehindu.com/news/international/tna-demands-probe-over-occupation-of-civilian-lands-by-sri-lankan-army/article8528548.ece.
[25] "More than 40 arrests under PTA in 2015-16", 29 June 2016, https://srilankatwo.wordpress.com/2016/06/29/more-than-40-arrests-under-pta-in-2015-16/
[26] Statement by Hon. Mangala Samaraweera, M.P. Minister of Foreign Affairs of Sri Lanka & Leader of the Sri Lanka Delegation Presentation of the Oral Update on the Implementation of the HRC Resolution A/HRC/RES/30/1 by the High Commissioner for Human Rights, Item2 32nd Session of the Human Rights Council, 29 June 2016, Geneva, http://www.mfa.gov.lk/images/stories/Hon._MFA_Statement_HRC_32_-_June_2016-pdf.pdf
[27] "Report on Public Representations on Constitutional Reforms", May 2016, http://www.yourconstitution.lk/PRCRpt/PRC_english_report-A4.pdf
[28] The Constitution of Democratic Republic of Sri Lanka (As amended up to 15th May 2015), Revised Edition – 2015, https://www.parliament.lk/files/pdf/constitution.pdf.
[29] Report on Public Representations on Constitutional Reforms, May 2016, http://www.yourconstitution.lk/PRCRpt/PRC_english_report-A4.pdf, p.19.
[30] Ibid 28, p.25.
[31] Ibid 28, p.50.
[32] "104 LTTE Cadres Poisoned to Death at Sri Lanka Rehab Centres", 18 August 2018, http://www.thehindu.com/news/international/104-ltte-cadres-poisoned-to-death-at-sri-lanka-rehab-centres/article9002744.ece.
[33] "US backs out of undertaking to medically examine former Tiger combatants", Daily News, 22 August 2016, http://dailynews.lk/2016/08/22/local/91054.Aug 21, 2016 19:39
[34] "The Paranagama Commission has done Great Damage", 6th July 2016, http://www.slguardian.org/2016/07/the-paranagama-commission-has-done-great-damage/
[35] "Report on the Second Mandate Of the Presidential Commission of Inquiry Into Complaints of Abductions and Disappearances", August 2015, https://www.colombotelegraph.com/wp-content/uploads/2015/10/Paranagama-Report-.pdf, P.21.
[36] "Report on the Second Mandate Of the Presidential Commission of Inquiry Into Complaints of Abductions and Disappearances", August 2015, https://www.colombotelegraph.com/wp-content/uploads/2015/10/Paranagama-Report-.pdf, P.22.
[37] Balachandran.P.K, "Paranagama Panel Suggests Domestic Judicial Mechanism And 'Accountable Amnesty'", 21 August 2016, http://www.newindianexpress.com/world/Paranagama-Panel-Suggests-Domestic-Judicial-Mechanism-And-Accountable-Amnesty/2016/08/21/article3590570.ece

[38] "As Long As I Am The President, No International Participation In Judicial Process" Sirisena Declares", 6th July 2016, https://www.colombotelegraph.com/index.php/as-long-as-i-am-the-president-no-international-participation-in-judicial-process-sirisena-declares/.

[39] "Joint Opposition MPs to resign from SLFP organizer posts", 22 August 2016, http://www.colombopage.com/archive_16B/Aug22_1471842645CH.php

[40] Balachandran P.K, "Tamil Peoples' Council Demands Framework Pact Before Constitution Making", 1st February 2016, http://www.newindianexpress.com/world/Tamil-Peoples-Council-Demands-Framework-Pact-Before-Constitution-Making/2016/02/01/article3256097.ece

[41] Ramakrishnan.T, "Tamil parties form new coalition in Sri Lanka", 6th May 2016, http://www.thehindu.com/news/international/tamil-parties-form-new-coalition-in-sri-lanka/article8561852.ece